



2026:AHC:43001-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका(पीआईएल) संख्या-3869/2025

सुग्रीव प्रसाद सरोज

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अशुतोष गुप्ता, ज्ञान प्रकाश वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सीमा अग्रवाल(एसीसी)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंशाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, याचिकाकर्ता द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए दायर की गयी है।
2. निर्देश मांगे गए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्रस्तुत किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भी दर्शाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 का अतिक्रमण हटा दिया गया है तथा वास्तव में याचिकाकर्ता स्वयं भूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण कर रहा था जिसे उसने हटा दिया।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि अभी भी कुछ अतिक्रमण अस्तित्व में है।
5. एक बार जब यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था, तो अतिक्रमणकर्ता द्वारा स्वयं को जनहितैषी याचिकाकर्ता बताते हुए याचिका दायर करना चाहें तो वह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। अतः याचिका निरस्त की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंशाली, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

पीश्री/ए.के.शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”